कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / पीजी0–2021 / 306 लखनऊःदिनांक 04 फरवरी, 2022

यू0पी0 नीट पी0जी0–2021–22 की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही करा सके हैं, वह पंजीकरण शुल्क रु0 3,000/– जमा कर द्वितीय चक की काउंसिलिंग मे प्रतिभाग कर सकते है।

2. जिन अभ्यर्थियो को प्रथम चक की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नही हुई है, वह द्वितीय चक की काउंसिलिंग हेतु अर्ह है।

3. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक की काउंसिलिंग में पंजीकरण कराया था, उन्हें द्वितीय चक काउंसिलिंग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है।

4. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक की काउंसिलिंग में पंजीकरण तो कराया था, किन्तु सिक्योरिटी धनराशि जमा नही की गयी थी। वह अपनी सिक्योरिटी धनराशि जमा कर काउंसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।

5. ऐसे अभ्यर्थी, जिनको प्रथम चक की काउंसिलिंग से सीट का आवंटन हुआ है और आवंटित सीट पर प्रवेश नही लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी सिक्योरिटी धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।

6. द्वितीय चक की काउंसिलिंग में सीटों का आवंटन/उच्चीकरण द्वितीय मेरिट के आधार पर होगा।

7. Choice Locking और Login Password एक ही है अतः Choice Locking के लिए वही Password use करें, जो Login करते समय किया था।

8. विकल्पों को भरने (Choice Filling) के उपरान्त उनको Lock करना अनिवार्य है। Choice Lock न करने की स्थिति में उनको सीट आवंटन की प्रकिया से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

9. पहले से आवंटित (प्रवेशित) सीट का विकल्प भरना अनिवार्य नहीं है। यदि नये विकल्पों के आधार पर कोई सीट आवंटित नहीं होती है, तो पुरानी आवंटित सीट Retain रहेगी।

10. नये आवंटन की दशा में पुराना आवंटित कालेज की सीट का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उस पर किसी भी दशा में कोई अधिकार नहीं रहेगा।

11. यदि विकल्पों में पुराना आवंटित कालेज भरा गया और वह फिर से नये आवंटन की तरह से आवंटित हो गया, तो पुनः नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर सीट पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

12. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें यदि रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटें सामान्य श्रेणी की ओपन कटेगरी से भरी जायेंगी।

13. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय अथवा निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।

14. ऐसी अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है, अपग्रेड नहीं करना चाहते है, उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में विकल्प (Choice) भरने की आवश्यकता नहीं है।

15. SAC यह काल्पनिक सीट है, SAC (GNOP) के अन्तर्गत प्रदर्शित सीट का उद्देश्य उन सीटों के सापेक्ष सभी कैटेगरी/सब कैटेगरी के अभ्यर्थियों से विकल्पों को लेना है। आवंटन के समय किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट पूर्व आवंटित (प्रवेशित) सीट के उसी कैटैगरी/सब कैटैगरी में चली जाएगी तथा नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी और अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी।

16. आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को राजकीय/स्वशासी/नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य है।

महानिदेशक